

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

--: अधिसूचना ::--

पटना-01, दिनांक-26/12/2018

संख्या-1/श्रम वि०स्था० (3) 30-01/2014 श्र०सं०.....167...../श्री राजीव कुमार सिंह,
कारखाना निरीक्षक, पटना अंचल-03, पटना को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित
56वीं - 59वीं सम्मिलित संयुक्त परीक्षा के आधार पर पुलिस उपाधीक्षक के पद पर चयन
के उपरांत योगदान देने हेतु गहन रखते हुये अधिसूचना निर्गत की तिथि से विरमित किया
जाता है।

2. श्री सिंह द्वारा दिये गये शपथ पत्र के अनुसार उनका कारखाना निरीक्षक के पद पर
गहन विरमन की तिथि से दो वर्ष या पुलिस उपाधीक्षक के पद पर सेवा सम्पुष्टि की तिथि
(जो भी पहले हो) तक बरकरार रहेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

26/12/18

(सूर्यकान्त मणि)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-1/श्रम वि०स्था० (3) 30-01/2014 श्र०सं०.....167...../ पटना-01, दिनांक-26/12/2018

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में
प्रकाशनार्थ/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार,
पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/मा० मंत्री, श्रम संसाधन
विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/श्रमायुक्त, बिहार, पटना/श्री दुर्गेश कुमार
पाण्डेय, उप सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना (आरक्षी शाखा) को अधिसूचना
सं०-11621 दिनांक 17.12.18 के आलोक में/जिला पदाधिकारी, पटना/
बिहार श्रम सेवा (सामान्य एवं तकनीकी), संवर्ग के सभी पदाधिकारी/मुख्यालय
स्थित सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/आई०टी० मैनेजर
(विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ), श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/12/18

सरकार के उप सचिव।